भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2916

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक गलियारे

2916. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक स्वीकृत/निर्माणाधीन औद्योगिक गलियारों की संख्या कितनी है;

(ग) रोजगार सृजन पर उक्त परियोजनाओं के प्रभान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। एनआईसीडीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य मांग से पहले प्लग एंड प्ले सुविधा, वॉक-टु-वर्क अवधारणा और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश गंतव्य केंद्रों के निर्माण के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों/क्लस्टरों का निर्माण करना है। एनआईसीडीपी के भाग के रूप में, निम्नलिखित 11 औद्योगिक कॉरिडोरों का विकास किया जा रहा है:-

1. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी)
2. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी)
3. चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी)
4. वाइजैग-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर (वीसीआईसी)

5. ओडिशा आर्थिक कॉरिडोर (ओईसी)
6. दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर (डीएनआईसी)
7. हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर (एचएनआईसी)
8. हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक कॉरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी)
9. हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (एचबीआईसी)
10. बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (बीएमआईसी)
11. कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार

अब तक, भारत सरकार द्वारा 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें 7 औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी, एकेआईसी, सीबीआईसी, सीबीआईसी विस्तार, वीसीआईसी, एचबीआईसी और एचएनआईसी) और 13 राज्यों को शामिल किया गया है। इनमें से 4 औद्योगिक स्मार्ट शहरों अर्थात धोलेरा (गुजरात), शेंद्रा-बिदकिन (महाराष्ट्र), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और उज्जैन के पास विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नांगल चौधरी (हरियाणा), कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक) में एकीकृत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच और एमएमटीएच) के लिए विकास कार्यकलाप शुरू हो चुके हैं। अगस्त 2024 में अनुमोदित 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

(ग): इस परियोजना के अनुमानों के अनुसार, इन 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की कुल रोजगार क्षमता लगभग 13.5 लाख नौकरियां है।

(घ): औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए भूमि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित की जाती है। परियोजना प्रस्तावों को संबंधित राज्य द्वारा इस बात की पुष्टि करने के बाद ही अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि आवश्यक भूमि का कम से कम 80% हिस्सा अधिग्रहित कर लिया गया हो, जिससे भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों से संबंधित कार्यान्वयन जोखिम कम हो जाते हैं।

पर्यावरणीय अनुमोदन के संबंध में, मास्टर प्लानिंग और विस्तृत इंजीनियरिंग चरणों में पर्यावरणीय सुरक्षा विवेचनाएं एकीकृत की जा रही हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन डिजाइन चरण के दौरान किए जाते हैं ताकि संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान की जा सके।

इनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के माध्यम से उचित सुधार उपायों को लागू किया जाता है। परियोजना क्षेत्र के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों और लागू परियोजना सीमा के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार, या संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), जैसा भी लागू हो, से पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन (ईसी) प्राप्त किया जाता है। पर्यावरण संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है, जिससे कार्यान्वयन जोखिम कम हो जाते हैं।

*****